



एन.बी:

1. स्वामित्व का पारवर्तन बाड द्वारा किया जाएगा बशत नात क अनुसार बाड क लिए बकाया ☐ का मुगतान कर दिया गया है अथवा अवक्रता द्वारा सबाधत चाय कारखान क लिए नियामत मुगतान किया जा रहा है ☐ समा पजाकृत चाय कारखान ☐ क्रता ☐ स्वामित्व में है।
2. उपराक्त बडु सख्या 3(1) में उल्लाखत छूट कवल उन कारखाना (इस्टट आर बाएलएफ दाना) क लिए लागू है जा सरकारा मूम पर स्थित है आर सबाधत राज्य सरकार क प्राधिकारया से ☐ अपाक्षत अनुमात है। अन्य समा कारखाना (इस्टट आर बाएलएफ दाना) क लिए उपराक्त बडु सख्या 3 पर उल्लाखत दस्तावजा का आनवाय रूप से जमा करना होगा।
3. यह दिशानदश तत्काल प्रभाव से लागू है गया है। अब से, समा आवदन (नए आर माजूदा दाना) का इस दिशानदश क अनुसार माना जाएगा।